Order Sheet [Contd] Case No 06/2017 बी.ए

Date of Order or proceeding with Signature of presiding Order or proceeding with Signature of presiding of—01—2017 311 विक्र अरिपी संजू की ओर से श्री मुंशी सिंह यादव अधिवकता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अप्रश्रीकेन्द्र गोहद से अप०क० 308/16 धारा 354 मा.द.वि की क्रेंश डायरी, मय कैफियत के पेश। अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण से संबंधित बण्डल फाइल प्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण से अधीर श्री मुंशीसिंह यादव द्वारा प्रथम नियमित जामानत ओवंदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जाठफीठ का पेश कर निवंदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा फिर्यादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा अपराध पंजीबढ़ कर लिया है, जबिक जबके के लिखाफ मुरार जिला ग्वालियर में की थी जिस पर रॉजिश मानकर आवंदक के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट फरियादिया के लड़के के लिखाफ मुरार जिला ग्वालियर में की थी जिस पर रॉजिश मानकर आवंदक के दिखाइ झूठी रिपोर्ट की गई है। आवंदक प्रमुम खाँग गुठीना जिला ग्वालियर का स्थाई निवासी होकर मजदूर पैशा व्यक्ति है, उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आवंदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवंदक को उचित जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवंदक को उचित जमानत की तेर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवंदनपत्र का विरोध करते हुए आवंदनपत्र निरंदत करने का निवंदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश आयरी को अधार पर कि आरोपी के द्वारा उसके पास एक मोटरसाइकिल गिरवीं रख दिया था और उसके बदले उसके पेस पेस ले लिए थे, उसने पेसा मांगा और उसे मोटरसाइकिल उठा लेने के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। रात के दस बजे वह धर में अकेली थी तो आरोपी आया और उसके हाथ पकड़कर उसकी लज्जा शीलता भंग की। जिस पर पुलिस थाना गोहद	Case 100 00 / 2017 41.5		
अधिवन्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। अप्रशिकन्द गोहद से अप०क० 308/16 धारा 354 भा.द.वि की क्रेंश डायरी मय कैफियत के पेश। अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण से संबंधित बण्डल फाइल प्राप्त। अपेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री मुंशीसिंह यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। जबिक आवेदक के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल यालियर में की थी जिस पर रंजिंध मानकर आवेदक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गई है। आवेदक ग्राम डांग गुठीना जिला ग्वालियर का स्थाई निवासी होकर मजदूर पेशा व्यक्ति है। अपवेदक भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आवेदक भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः अवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निस्स्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में बिचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर कि आरोपी के द्वारा उसके पास एक मोटरसाइकिल गिरवीं रख दिया था और उसके बदले उससे पेसे ले लिए थे, उसने पेसा मांगा और उसने उसके वाय पिताई और उधारी के पेसे मांगा तो आरोपी ने मना कर दिया। रात के दस बजे वह घर में अकेली थी तो आरोपी आया और उसने उसके वाय पिताई और उधारी के पेसे मांगा तो आरोपी ने उसके हाथ	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders
		अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षीकेन्द्र गोहद से अप०क० 308/16 धारा 354 भा.द.वि की केंग्र झयरी मय कैंफियत के पेश। अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण से संबंधित बण्डल फाइल प्राप्त। अावेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री मुंशीसिंह यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा फरियादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार पर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। जबिक आवेदक के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट फरियादिया के लड़के के लिखाफ मुरार जिला ग्वालियर में की थी जिस पर रंजिश मानकर आवेदक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गई है। आवेदक ग्राम डांग गुठीना जिला ग्वालियर का स्थाई निवासी होकर मजदूर पैशा व्यक्ति है, उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में बिचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर कि आरोपी के द्वारा उसके पास एक मोटरसाइकिल गिरवीं रख दिया था और उसके बदले उससे पैसे ले लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। रात के दस बजे वह घर में अकेली थी तो आरोपी आया और उसने उसके चाय पिलाई और उधारी के पैसे मांगा तो आरोपी ने उसके हाथ	A

के द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 354 भा द.स. का अपराध पजीबद्ध किया गया।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि घटना में आरोपी को झूठा लिप्त किया गया है, उसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में फरियादिया के लडके के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी प्रति बण्डल फाइल में शामिल है। आरोपी दिनाक 30.12.2016 से अभिरक्षा में है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन के द्वारा संकलित की गई साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए जो कि आरोपी दिनांक 30.12.2016 से अभिरक्षा में है और प्रकरण की विवेचना भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। आवेदक जमानत पर छोडा जाना उचित है। आवेदक की ओर से इस संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 20,000/— रूपए की सक्षम जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय का पेश हो कि वह प्रत्येक पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं धारा ४३७(३) जा फौ. के प्रावधानों का पालन करेगा। उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो उसे जमानत पर छोडे जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति सहित बण्डल फाइल संबंधित न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने बापस को जी जावे

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा (डीoसीoथपलिया ए.एस.जे. गोहद जावे।

(डी०सी०थपलियाल)

